Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

B/107, Harmu Housing Colony,
P. O. Doranda,
P. S. Argora,
Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

पॉलिटेक्नीक के विस्थापितों के हक में हाइकोर्ट के फैसले का सांसद नथवाणी जी द्वारा स्वागत

रांची 12 मई 2011 : राज्यसभा सांसद श्री परिमल नथवाणी ने झारखण्ड हाइकोर्ट द्वारा आज दिए गए उस आदेश का स्वागत किया जिसमें हाइकोर्ट ने सरकार से पॉलिटेक्नीक के लिए अंकित ज़मीन से विस्थापित किए गए परिवारों को 13 महीनें में नए आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्री नथवाणी ने यह आशा व्यक्त की कि सरकार अब जल्द–से–जल्द सक्रियता से इस आदेश के अनुपालन में लग जाए ताकि उजड़े हुए लोगों को हाइकोर्ट द्वारा तय मियाद से भी पूर्व आवास उपलब्ध हो सके।

ज्ञातव्य है कि इस्लामनगर निवासी मोहम्मद शकील ने झारखण्ड हाइकोर्ट से एक याचिका के ज़रिये गुज़ारिश की थी कि पॉलिटेक्नीक इस्लामनगर के उन विस्थापितों का भी पुनर्वास किया जाए जो वहां दस साल से रह रहे थे। इससे पूर्व झारखण्ड हाइकोर्ट ने मोहम्मद शकील की ही एक जनहित याचिका पर इस्लामनगर में 20 साल से अधिक समय से रह रहे और हाल के अतिक्रमण हटाओ मुहीम में विस्थापित लोगों के पुनर्वास का आदेश दिया था।

इस सिलसिले में झारखंड सरकार की एक इन्टरलॉक्यूटरी अर्जी पर हाइकोर्ट ने सहानुभूतिपूर्वक ग़ौर किया जिससे पॉलिटेक्नीक क्षेत्र के उन विस्थापितों का भी अब पुनर्वास होगा जो वहां दस साल से ज्यादा समय से रह रहे थे। हालांकि पोलिटेक्नीक के लिए अधिग्रहित इस ज़मीन पर रहनेवालों को वहां अपने निवास को प्रमाणित करना होगा।

हाइकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि इन विस्थापितों को ज़मीन के बदले पक्के आवास/फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे। प्रत्येक आवास के लिए उन्हें निर्माण राशि का 10 से 15 प्रतिशत जो 20,000/–रू० (बीस हजार) से ज्यादा नहीं होगा, राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

राज्य सभा सांसद श्री नथवाणी जी ने हाइकोर्ट के इस आदेश पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार इस फैसले पर जल्द से जल्द अमल करे ताकि बेघर हुए लोगों को आशियाना मिल सके और वे सब सलामत जिंदगी बेरोकटोक बसर कर सकें।

★★★